निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 806) पटना, वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2015

सं0 11 / वि1–220 / 2007—1368

शिक्षा विभाग

———————

संकल्प

7 जुलाई 2015

विषयः—''वित्त रहित शिक्षा नीति'' के समाप्ति के उपरान्त स्थापना अनुमति /प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इंटर महाविद्यालय) को ससमय अनुदान उपलब्ध कराने हेतु पूर्व निर्धारित नीति का सरलीकरण कंडिका–7 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप करने के संबंध में।

माध्यमिक शैक्षिक वातावरण में सुधार एवं छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरान्त अर्हताधारी स्थापना अनुमति / प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) को विभागीय संकल्प संख्या–538 दिनांक 19.05.09 के आलोक में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में उक्त विद्यालय / महाविद्यालय को अनुदान देने के संबंध में प्रक्रियाएँ निम्न प्रकार समाहित / इस हद तक संशोधित की जाती हैं :–

I. शैक्षिक सत्रवार अनुदानित संस्थाओं को अनुदान देने हेतु राशि की मांग संस्थावार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से की जाएगी। मांग के अनुरूप राशि माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

II. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संस्था से उत्तीर्ण छात्र / छात्रा के आधार पर राशि का हस्तांतरण संबंधित संस्था के खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। संस्था को राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर शिक्षकों / शिक्षकेत्तर कर्मियों को राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2. इसी क्रम में विभागीय संकल्प संख्या–1644 दिनांक 14.11.2013 के द्वारा इन माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इंटर महाविद्यालय) के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुदान देने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत अनुदानित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त स्वमूल्यांकन प्रपत्र का सत्यापन तृतीय पक्ष एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तृतीय पक्ष का चयन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा **Open Tender** प्रक्रिया से किया गया था। कतिपय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जांच प्रतिवेदन तृतीय पक्ष से प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान देने में कठिनाई हो रही है। उक्त वर्णित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तृतीय पक्ष के जांच की आवश्यकता को शिथिल किये जाने की आवश्यकता है।

4. वर्तमान में संस्था द्वारा प्रदत्त स्वमूल्यांकन प्रपत्र का सत्यापन तृतीय पक्ष एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों से कराये जाने के पश्चात् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्था से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा की संख्या के आधार पर अनुदान की अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुदान का स्वीकृत्यादेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा जाता है। तत्पश्चात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अनुदान की राशि संबंधित संस्था के लिए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राप्त कराया जाता है, इस प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है।

5. अनुदान विमुक्ति के पूर्व गत वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण के आधार पर आगामी अनुदान की राशि विमुक्ति की जाती है। अनुदानित संस्था को अंकेक्षण प्रतिवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा डिग्री महाविद्यालय अन्तर्गत इंटर खण्ड के संस्था को अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित विश्वविद्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र को महालेखाकार में समर्पित किया जाएगा।

6. विभागीय अधिसूचना संख्या–972 दिनांक 19.05.2015 द्वारा अधिसूचित ''बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार नियमावली, 2015'' के प्रावधान के तहत गठित प्राधिकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं के प्रबंध समिति शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवाशर्त्त यथा पारिश्रमिक, अन्य सेवा लाभ, नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक विषय आदि से संबंधित विवाद का निराकरण किया जाएगा।

7. ''वित्त रहित शिक्षा नीति'' के समाप्ति के उपरान्त स्थापना अनुमति /प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इंटर महाविद्यालय) को ससमय अनुदान उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से निर्धारित नीति निम्नरूपेण सरलीकरण की जाती है :–

(I) स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयवार (इंटर महाविद्यालय) शैक्षणिक सत्रवार उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के संख्या के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समति द्वारा राशि की मांग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से की जायगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मांग पत्र के अनुसार राशि की निकासी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध कराया जायगा। संबंधित वैसी संस्था जिसका विभागीय संकल्प संख्या 1644 दिनांक 14.11.2013 द्वारा जॉच कर ली गयी है, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संस्था से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के आधार पर राशि का हस्तांतरण संबंधित संस्था के खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। संस्था को राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा। राशि वितरित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था की प्रबंधकारणी के विरूद्ध विहित कार्यवाई किया जा सकेगा।

(II) विभागीय संकल्प संख्या–1644 दिनांक 16.11.2013 के आलोक में तृतीय पक्ष की जाँच से वंचित संबंधित संस्थाओं का अनुदान जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित संस्था को विभागीय संकल्प संख्या–538 दिनांक 19.05.2009 के आलोक में अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(III) विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय अन्तर्गत इंटर खण्ड के अनुदान की राशि भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संबंधित संस्था को सीधे उपलब्ध करायी जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 806-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in